

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी - शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 502/2010

दायर दिनांक - 9/10/2010

निर्णय दिनांक -12/03/2018

अनवान

1. उदयलाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह0- रेलमगरा
वादी

बनाम

1. अणछी बाई पति रामलाल जाट निवासी धनेरिया, तह0- रेलमगरा
2. नारायणी बाई पति किशनलाल जाट निवासी धनेरिया, तह0- रेलमगरा
3. माधवलाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह0- रेलमगरा
4. अम्बालाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह0- रेलमगरा
5. किशनलाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह0- रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी द्वारा वाद बाबत् विभाजन जरिये अधिवक्ता के प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धनेरिया वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2336, 2337, 2338 कुल किता -03 कुल रकबा 07-09 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। जिसका तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव फहरिस्त मय रिपोर्ट के प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गई। वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

विभाजन प्रस्ताव

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	अणछी बाई पति रामलाल	2336 मीन	02-10	1.75
	1/2 नाराणी बाई पति	2337 मीन	02-00	1.28
	किशनलाल जाट 1/2 सा.	2338 मीन	00-10	0.25
	देह खातेदार रहन			
	ICICI बैंक शाखा फतहनगर			
	योग	किता -03	05-00	03.28

21/0

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

01	उदयलाल पिता हरलाल जाट सा. खताखडा मजरा देह खातेदार रहन MAGB बैंक शाखा दरीबा	2336 / 1 2337 / 1 2338 / 1	01-07 00-18 00-04	0.94 0.59 0.10
		किता -03	02-09	1.63

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी प्रकार से भूमि रहन हो तो उसे यथावत रखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

२/१०
(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- शक्तिसिंह भाटी, आर० ए० एस
राजस्व वाद संख्या :- 502/2010 वाद

वादीपक्ष :-

1. उदयलाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह०- रेलमगरा
 :- बनाम :-

प्रतिवादीपक्ष :-

1. अण्छी बाई पति रामलाल जाट निवासी धनेरिया, तह०- रेलमगरा
2. नारायणी बाई पति किशनलाल जाट निवासी धनेरिया, तह०- रेलमगरा
3. माधवलाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह०- रेलमगरा
4. अम्बालाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह०- रेलमगरा
5. किशनलाल पिता हरलाल उर्फ नानालाल जाट निवासी धनेरिया, तह०- रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- अधिवक्ता- सी० एस० शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :- अधिवक्ता- --

में इस आशय में दिनांक 12/03/2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम धनेरिया वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2336, 2337, 2338 कुल किता -03 कुल रकबा 07-09 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। जिसका तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव फहरिस्त मय रिपोर्ट के प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गई। वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

विभाजन प्रस्ताव

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	अण्छी बाई पति रामलाल 1/2 नाराणी बाई पति किशनलाल जाट 1/2 सा. देह खातेदार रहन ICICI बैंक शाखा फतहनगर	2336 मीन 2337 मीन 2338 मीन	02-10 02-00 00-10	1.75 1.28 0.25
	योग	किता -03	05-00	03.28
01	उदयलाल पिता हरलाल जाट सा. खेतीखेडा मजरा देह खातेदार रहन MAGB बैंक शाखा दरीबा	2336/1 2337/1 2338/1	01-07 00-18 00-04	0.94 0.59 0.10
		किता -03	02-09	1.63

2160

सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा

14
उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी प्रकार से भूमि रहन हो तो उसे यथावत रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(शक्तिसिंह भाटी)

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा